वैलिंगटन सिटी काउंसिल - सहभागिता (पार्टिसिपेशन)

अनुक्रमणिका

1. अवलोकन
2. सभाओं (मीटिंगों) में भाग लेना
3. पार्षदों (काउंसिलरों) से सम्पर्क करना
4. अनुदेश तथा याचिका (सबमिशन्स एन्ड पेटिशन्स)
5. विभाग विवरण

---

1. अवलोकन (ओवरव्यू)

वैलिंगटन सिटी काउंसिल अनेकों महत्त्वपूर्ण निर्णय लेती है जिनका प्रभाव शहर में बसने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों पर पड़ता है। सबसे उत्तम व संभव निर्णय लेने के लिए, काउंसिल वैलिंगटन वासियों की सहभागिता तथा उनके द्वारा दी गई फीडबैक या परिशोधन पर निर्भर है।

काउंसिल को अपने विचारों से अवगत कराना एक ऐसा माध्यम है जिससे आप वैलिंगटन शहर में योगदान दे सकते हैं और काउंसिल की निष्पक्ष तथा प्रभावशाली बनने में मदद कर सकते हैं।

आप अपने विचार काउंसिल की सभाओं में बोल कर, व्यक्तिगत पार्षदों से सीधा सर्म्पक करके, अनुदेश या सबमिशन देकर या याचिका लिख कर व्यक्त कर सकते हैं।

नोटः काउंसिल की सहभागिता के बारे में सारी ऑनलाइन जानकारी अन्य कई भाषाओं में उपलब्ध है।

2. सभाओं में बोलना (भाग लेना)

काउंसिल की सभाओं में बोलना, नगर के मुद्दों के बारे में अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने विचारों से अवगत कराने का एक बहुत अच्छा तरीका है। प्रत्येक काउंसिल, समिति, उपसमिति तथा कम्युनिटी बोर्ड सभाओं के आरंभ में 15 मिनट तक का समय जनता सहभागिता या पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए सुरक्षित है।

कृपया ध्यान रखें कि जनता सहभागिता का समय पार्षदों या काउंसिल कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करने का मंच (फोरम) नहीं है। इस प्रकार के अनुरोधों के लिए आप वैलिंगटन सिटी काउंसिल को (04) 499 4444 पर फोन करें।

बोलने के लिए समय निश्चित (का प्रबन्ध) करना

यदि आप पार्षदों से बात करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ टीम से सम्पर्क करें। वे आपको सभा के लिए उचित समय के बारे में सूचित करेंगें।

आप जब सम्पर्क करें तो डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ को निम्नलिखित सूचना देने के लिए तैयार रहें ः

- आपका नाम तथा सम्पर्क ब्यौरा
- यदि आप किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसका नाम
- आपके कथन या वक्तव्य का विषय - काउंसिल की सभाओं में आप केवल एजेंडा या कार्यसूची में लिखित विषयों पर ही बोल सकते हैं।

जनता की सहभाागिता (पब्लिक पार्टिसिपेशन) के बारे में कुछ सलाह ः

- सभा से पहले वाले दिन के दोपहर के 12 बजे तक आपके लिए डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ को यह सूवित करना जरूरी है कि आप सभा में बोलना चाहते/चाहती हैं।
- प्रत्येक सभा में बोल सकने वाले जनता के सहभागियों की संख्या सीमित होती है। जब भी सभा में बोलने का अनुरोध करने वालों की संख्या अधिक होती है तो सभा के अध्यक्ष द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि कौन बोलेगा।
- उस दिन [बोलने वाले] सहभागियों की संख्या पर निर्भर करते हुए, प्रत्येक जनता सहभागी को बोलने के लिए तीन से पाँच मिनट का समय दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ द्वारा सभा से पहले दिन आपको बताया जाएगा कि आप सभा में कितने समय बोलने की तैयारी कर सकते हैं।
- आप अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिए अपने साथ लिखित सामग्री ला सकते हैं। डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ से पूछ कर कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ सभी पार्षदों के लिए उपयुक्त मात्रा में प्रतिलिपियां लाएं।
- आप अपनी स्थानीय लायब्रेरी, काउंसिल या ऑनलाइन पर सभा से कम से कम दो दिन पहले एजेंडा और रिपोर्ट की प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं।

सभा में

काउंसिल की सभाएं काफी औपचारिक होती हैं, इसलिए कृपया निम्नलिखित मूल नियमों को समझें और इनका पालन करें ः

- आपके आगमन पर डेमोक्रेटिक सर्विसिज़ के सलाहकार द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा तथा आपके बैठने की जगह, बोलने के समय खड़े होने की जगह और सभा में बोलने के समय के बारे में बताया जाएगा।
- आप अपने साथ यदि लिखित सामग्री लाए हैं तो उसे वितरित करने के लिए सलाहकार को दें।
- सभा के आरंभ में अध्यक्ष द्वारा पहले कुछ घरेलू मामलों के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद जनता की सहभागिता पर ध्यान दिया जाएगा।

बोलना या भाषण देना

- जब आपकी बोलने की बारी होगी तो अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से आपको पार्षदों से परिचित कराया जाएगा तथा आपको, जिस स्थान से आप भाषण देगें उस स्थान पर जाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- अध्यक्ष द्वारा आपको इस बारे में भी सूचित किया जाएगा कि आपको बोलने के लिए कितना समय उपलब्ध है।आपका समय मापा जायेगा।अपने समय को विवेकतापूर्ण प्रयोग करें।
- यह जरूरी है कि जब पार्षद बोल रहे हों तो आप उसमें बाधा नहीं डालें और अध्यक्ष द्वारा बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने से पहले न बोलें।
- यदि आपका कथन अनादरपूर्ण या अपमानजनक है तो अध्यक्ष द्वारा उसे सामाप्त किया जा सकता है।
- आपका भाषण समाप्त होने पर हो सकता है पार्षद आपके दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहें।

3. पार्षदों से सम्पर्क करना

निर्वाचित काउंसिल में मेयर और चौदह पार्षद सम्मिलित हैं जिन्हें पाँच विभिन्न वार्डों में विभाजित किया गया है।

अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप मेयर तथा पार्षदों से सीधा सम्पर्क कर सकते हैं।[उनसे] सम्पर्क की जानकारी उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल में उपलब्ध है या काउंसिल को (04) 499 4444 नम्बर पर फोन करने से उनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

यदि आप यह नहीं जानते कि आपके इलाके का प्रतिनिधि पार्षद कौन है, तो अपने वार्ड को जानने के लिए उपनगर के अन्तगर्त ऑनलाइन वार्ड के नक्शों को देखें।

4. अनुदेश तथा याचिकाएं (सबमिशन्स एन्ड पेटिशन्स)

अनुदेश या सबमिशन

समय-समय पर काउंसिल विशिष्ट मुद्दों पर जनता से अनुदेश के लिए अनुरोध करती है। अनुदेश एक ऐसा कथन है जो काउंसिल को आपके विचारों के बारे में जानकारी देता है। अनुदेश प्रायः लिखित कथन हैं परन्तु उन्हें काउंसिल या उपयुक्त समिति से व्यक्तिगत रूप से बात-चीत करके भी व्यक्त किया जा सकता है।

काउंसिल तीन मुख्य क्षेत्रों में अनुदेश के लिए अनुरोध करती है ः

- काउंसिल के सामान्य निर्णय (नीतियों, योजनाओं, उप-विधानों तथा काउंसिल योजनाओं सहित)
- घोषित डिस्ट्रिक्ट योजना में परिवर्तन
- घोषित साधन अनुमति (नोटीफाइड रिसोर्स कन्सेन्ट्स)

आप अनुदेश ऑनलाइन पर या (04) 499 4444 नम्बर पर फोन करके कर सकते हैं।

याचिका (पेटीशन)

कोई भी व्यक्ति या संस्था काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर अपनी याचिका पूरी काउंसिल या उसकी किसी भी समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी याचिका किसी भी रूप में हो सकती है बशर्ते उसका उद्देश्य, मन्तव्य तथा अनुरोध की गई कार्यविधि को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया हो।

आपकी याचिका जब काउंसिल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाए, तो डेमॉक्रेटिक सर्विसिज़ से सम्पर्क करें। वे आपको अपनी याचिका को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उचित सभा के बारे में सलाह देगें।

5. विभाग (डिपार्टमेंट) विवरण

आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो काउंसिल की डेमॉक्रेटिक सर्विसिज़ टीम से सम्पर्क करें।

Democratic Services

Wellington City Council
101 Wakefield Street
PO Box 2199
Wellington

फोन ः (04) 801 3486
फैक्स ः (04) 801 3020
ईमेल ः public.participation@wcc.govt.nz